चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित सभी टोलियों/रिक्रूट आरक्षियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी, परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं सुधार हेतु प्रभारी आरआई पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। परेड ग्राउंड में आर्मोरर द्वारा शस्त्रों का खोलने जोड़ने व हैन्डलिंग की जानकारी दी गयी।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों/थानों के वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर, आरटीसी बैरिक , सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय, आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया ।

इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक श्री अरविंद कुमार वर्मा,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक-10.07.2025 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई)/ CWC (बाल कल्याण समिति)/AHTU (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी । इस गोष्ठी समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालक तथा पीड़ित की जन्मतिथि का सत्यापन आधार कार्ड से न करके विद्यालय के अंक-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, नगर निकाय, नगर पालिका या मेडिकल परीक्षण कराकर किया जाए । बाल कल्याण इकाई को बताया गया कि यदि कोई नाबालिक पीड़ित/पीड़िता है और उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण इकाई के सदस्य द्वारा स्वयं वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। पीड़िता का तत्काल समय सीम के अन्दर विधि के अनुरुप मेडिकल परीक्षण कराया जाये तथा आर्थित रुप से कमजोर पीड़िताओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलायें । SJPU(विशेष किशोर पुलिस इकाई), CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यों एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग(AHTU) के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी । बाल विवाह पर रोक लगाया जाये तथा जनपदीय गठित टीम द्वारा भ्रमण कर बालकों से कराये जा रहे श्रम को प्रतिबंधित कराया जाये और जिनके द्वारा श्रम कराया जा रहा है उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाये ।

इस गोष्ठी में जिला प्रोबेसन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालकों से अपराधी के तरह व्यवहार न किया जाये, गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि गुमशुदा बच्चों के बरामद होने के बाद उन्हे CWC के सुपुर्द करें, CWC बच्चे के परिजनों की पहचान कर उनके परिजनों के सुपुर्द करेगी । यदि कोई नाबालिक आत्महत्या का प्रयास करता है तो पुलिस ऐसे नाबालिक बच्चो को CWC के सुपुर्द करें एवं CWC ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पश्चात जानकारी करें कि उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया गया है इसके बाद बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाये ।

इस गोष्ठी में बाल संरक्षण अधिकारी श्री सौरभ चंद्र सिंह, जन कल्याण शिक्षण प्रसार संस्थान श्री मुदित मिश्र,प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू श्री शिवमूरत, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी श्री जयप्रकाश उपाध्याय व जनपद के

बाल संरक्षण से सम्बन्धित अन्य विभागों के सदस्य व अधिकारी/कर्मचारीगण तथा समस्त थानों के बाल कल्यण अधिकारी उपस्थित रहे।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनांक 11.07.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 758/13 धारा 307,504 भादवि0 एवं मु0अ0स0 825/13 धारा 30 आयुध अधिनियम के आरोपी रामस्वरुप यादव पुत्र भूषण यादव निवासी भरतकूप तत्कालिक थाना कोतवाली कर्वी वर्तमान थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट 05 वर्ष का कारावास व 17000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम में 06 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया

संक्षित विवरण-

दिनांक 03.09.2013 को वादी जागेश्वर उर्फ पिन्टू पुत्र रामरुप निवासी भरतकूप तत्कालिक थाना कोतवाली कर्वी वर्तमान थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट ने कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त रामस्वरुप यादव उपरोक्त द्वारा परिवारिक बंटवारे की रंजिश के कारण गाली गलौच किया एवं मना करने पर वादी के चाचा रामप्रकाश को लाइसेंन्सी दो नाली बंदूक से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे उसके चाचा घायल हो गये। मु0अ0सं0 758/13 धारा 307,504 भादवि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन मो0 कलामुद्दीन द्वारा संपादित की गई एवं विवेचना के क्रम में दिनांक 25.09.2013 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0स0 825/13 धारा 30 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। दिनांक 15.11.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनांक 11.07.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 825/2013 धारा 30 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामस्वरुप यादव पुत्र भूषण यादव निवासी भरतकूप तत्कालिक थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का कारावास व 17000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षित विवरण-

दिनांक 03.09.2013 को वादी रंजीत निषाद पुत्र जनकू निषाद निवासी मछली मंडी द्वारिकापुरी जनपद चित्रकूट ने कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि उसकी बहिन की शादी का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें पुरानी रंजिश के चलते अजय निषाद उपरोक्त ने अपनी लाइसेंसी बंदूक DBBL से फायर कर दिया जिससे बंदूक के छर्रे रिश्तेदारी में आई संगीता देवी व नाई बद्री को लग गए जिससे वह घायल हो गए। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 101/2018 धारा 307 भादवि0 व 30/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना

तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा संपादित की गई। दिनांक 21.02.2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 17.04.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7). आज दिनाँक 11.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंद द्वारा श्रावण मास/कावड़ यात्रा के दृष्टिगत रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, मत्स्य गजेन्द्रनाथ मंदिर के आने जाने वाले रास्तो की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रद्धालुओं के आने-जाने वाले रास्तो का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
भ्रमण के दौरान यातायात प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(8). आज दिनाँक 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में श्रावण मास के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस बल द्वारा कर्वी शहर के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(9). आज दिनाकं 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा श्रावण मास/कावड़ यात्रा के दृष्टिगत पालेश्वर नाथ मंदिर पहाड़ी का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया । पुलिस अधीक्षक द्वारा पालेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी की विधवत पूजा अर्चना की और कहा कि श्रद्धालुओ सुरक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए मंदिर में सुरक्षा हेतु समुचित पुलिस बल का प्रबन्ध किया गया है। ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो । पुलिस अधीक्षक द्वारा मंदिर परिसर का भ्रमण कर थानाध्यक्ष पहाड़ी को सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
इस अवसर पर थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण सिंह थाना पहाड़ी पुलिस बल मौजूद रहा ।

(10). आज दिनाँक 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना पहाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर थानाध्यक्ष पहाड़ी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
इस दौरान थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।